# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

## दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 353

दुर्ग, दिनांक 01/10/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
**प्रकरण क्रमांक: 105**
**दिनांक: 08/05/2026**

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई,
बी.पी. क्रमांक रू 1001989376

आवेदक

**विरुद्ध**

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिवीजन वेस्ट।
2. सहायक यंत्री, नेहरू नगर जोन।

अनावेदकगण

**आदेश**

**(आज दिनांक 01 / 10 / 2026 को पारित किया गया)**

### 1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001989376, स्वीकृत भार 18.5 किलोवाट, के विद्युत देयक में त्रुटिपूर्ण बिलिंग किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

## 2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं :–

1. उक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 18.5 किलोवाट है।

3. अगस्त 2025 में उक्त विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

## 3. आवेदक की शिकायत

आवेदक का कथन है कि फरवरी 2025 से जुलाई 2025 तक की अवधि में मीटर की सही रीडिंग एवं स्थल सत्यापन के बिना औसतन 677 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर विद्युत देयक जारी किए गए। उक्त अवधि की बिलिंग उचित आधार पर नहीं की गई है, अतः इसकी जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

आवेदक द्वारा मीटर किराये के रूप में ₹100 प्रतिमाह की राशि लिए जाने के संबंध में भी आपत्ति प्रस्तुत की गई है तथा मीटर किराये की बिलिंग की समीक्षा किए जाने की मांग की गई है।

## 4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत कथन के अनुसार, आवेदक नगर निगम भिलाई के विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001989376, स्वीकृत भार 18.49 किलोवाट, मंगल भवन (सड़क बत्ती), नेहरू नगर के विद्युत देयक के संबंध में शिकायत की गई है।

अनावेदकगण द्वारा जांच में निम्नलिखित तथ्य बताए गए हैं :–

1. उक्त विद्युत कनेक्शन का मीटर जल जाने के कारण फरवरी 2025 से जुलाई 2025 तक औसतन 677 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर बिलिंग की जाती रही।

2. अगस्त 2025 में उक्त विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. अनावेदकगण द्वारा दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 तक का बिलिंग विवरण एवं गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

## 5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :–

क्या आवेदक के विद्युत कनेक्शन की बिलिंग वास्तविक/अनुमानित खपत एवं लागू नियमों के अनुसार की गई है तथा क्या संबंधित विद्युत देयकों में संशोधन किया जाना आवश्यक है?

## 6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा उभय पक्षों के कथनों, अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मीटर संबंधी अभिलेखों, बिलिंग विवरण एवं गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्नलिखित तथ्य एवं निष्कर्ष सामने आते हैं :–

### 6.1. मीटर खराब रहने की अवधि की बिलिंग

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक के अवलोकन से पाया जाता है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर फरवरी 2025 से जुलाई 2025 तक खराब रहा। अगस्त 2025 में उक्त परिसर में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध बिलिंग विवरण के अनुसार औसत खपत लगभग 3,383 यूनिट प्रतिमाह दर्ज की गई, जबकि मीटर खराब रहने की अवधि में औसतन 677 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर बिलिंग की गई थी। दोनों अवधियों की औसत खपत में पर्याप्त अंतर पाया जाता है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मीटर खराब रहने की अवधि में की गई बिलिंग की पुनर्गणना किया जाना आवश्यक है। संबंधित अवधि की खपत का निर्धारण उपलब्ध मीटर रीडिंग, स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद की खपत तथा लागू नियमों के अनुसार किया जाए और तदनुसार विद्युत देयकों में आवश्यक संशोधन किया जाए।

### 6.2. मीटर की श्रेणी एवं मीटर किराया

अभिलेखों के अनुसार, उपभोक्ता के परिसर में 10–60 एम्पियर क्षमता का मीटर स्थापित है, जबकि बिलिंग में सीटी मीटर के अनुरूप श्रेणी का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है।

अतः मीटर की वास्तविक श्रेणी के अनुसार बिलिंग का संशोधन किया जाना उचित है। मीटर किराये के संबंध में भी लागू दर एवं स्थापित मीटर की श्रेणी के आधार पर निर्धारित दर से मीटर किराया वसूल न किया गया हो, तो उसमें नियमानुसार संशोधन किया जाए।

## 7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि फरवरी 2025 से जुलाई 2025 तक मीटर खराब रहने की अवधि में की गई बिलिंग की उपलब्ध अभिलेखों, खपत के उपयुक्त आधार एवं लागू नियमों के अनुसार पुनर्गणना करें तथा आवश्यकतानुसार विद्युत देयकों में संशोधन करें।

2. अनावेदकगण उपभोक्ता के परिसर में स्थापित 10–60 एम्पियर क्षमता के मीटर की लागू टैरिफ एवं नियमों के अनुसार बिलिंग श्रेणी में आवश्यक संशोधन करें।

3. अनावेदकगण मीटर किराये की स्थापित मीटर की श्रेणी के अनुसार नियमानुसार संशोधन करें।

4. उपर्युक्त संशोधनों के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी विद्युत देयकों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग का विस्तृत गणना पत्रक तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की तारीख से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

7. आदेश पारित।

8. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग